न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र सं. : 01 / 2020

अपीलान्ट्स
मैसर्स अग्रवाल पोलिसेक्स लिमिटेड जरिये निदेशक श्रीमती मंजू अग्रवाल पत्नि श्री सुशील अग्रवाल, जाति अग्रवाल निवासी बी–1, शास्त्री नगर, पी0 एन0 टी0 चौराहा, जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स
श्रीमती शर्मिला सिंघवी पत्नि श्री मनोज सिंघवी, जाति ओसवाल, निवासी 26 / डी, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।

आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता ।

उपस्थिति :–
1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री साजिद खान उपस्थित ।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक 11.03.2020

अपीलान्ट अभिभाषक ने राजस्व प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर के समक्ष राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आदेश दिनांक 16.09. 2019 जो न्यायालय तहसीलदार लूणी द्वारा पारित किया गया के विरूद्ध पेश की। प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट शर्मिला सिंघवी ने खसरा संख्या 69 / 2 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम निम्बला शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर को अपने हक में निष्पादित बेचाननामें के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का निवेदन किया। जिस पर न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार लूणी के आदेश को अपास्त करते हुए नामान्तकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया, से व्यथित होकर प्रार्थना–पत्र पेश किया है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री सुगनमल परिहार ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट अभिभाषक ने मौखिक बहस करते हुए कथन किया कि जिस बेचाननामें के आधार पर माननीय न्यायालय ने अपील स्वीकार की है वह फर्जी है। न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया था, उक्त नोटिस की सूचना प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को नहीं हुई। अप्रार्थी/अपीलान्ट ने उक्त नोटिस पर कूटरचित व फर्जी हस्ताक्षर स्वयं किये व एक तरफा आदेश पारित करवा दिया। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की पुत्री मेरठ में रहती है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को हस्तगत प्रकरण की कोई सूचना ही प्राप्त नहीं हुई तो विद्वान न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है इस कारण एक पक्षीय आदेश को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने का आदेश फरमाया जाकर हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे और साथ ही तुरन्त प्रभाव से तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर को आदेश दिया जावे कि खसरा संख्या 69/2 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा ग्राम निम्बला शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर के रेवेन्यू रेकर्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखी जावें।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने मौखिक बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को जारी नोटिस की तामिल विधिवत् रूप से करवाई गई। नोटिस को प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की पुत्री द्वारा प्राप्त किया गया तथा उसके द्वारा नोटिस की पुश्त पर हस्ताक्षर किये गये है। जिसकी तस्दीक तामिल कुनिन्दा व तहसीलदार जोधपुर द्वारा की गई है।

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय द्वारा अपील में पारित निर्णय दिनांक 12.12.019 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर की जा चुकी है। बेचाननामें को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने जिला न्यायाधीश जोधपुर महानगर में वाद प्रस्तुत किया हुआ हैं तथा उसके साथ ही अन्तरिम स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिसमें केवल मात्र यह अन्तरिम आदेश जारी किया हुआ हैं कि उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि को आगे बेचान हस्तान्तरण नहीं करें। माननीय न्यायालय ने इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दिशा निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि ग्राम निम्बला, तहसील, लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 69/2 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा का माफिक बेचाननामा दिनांक 03.11.2017 के अनुसार अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करें तथा जमाबन्दी में जो पेन्सिली नोट

नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने का अंकित हैं उसके स्थान पर आगे विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करने का नोट अंकित किया जावें। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णत विधि अनुसार पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया।

हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अध्ययन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह हैं कि अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय के राजस्व अपील संख्या 85/2019 निर्णय दिनांक 12.12.2019 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील की जा चुकी है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.06.17 10:58:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: